न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्या 01/2018

1. गणेश पुत्र रेवडराम उम्र–48 वर्ष, जाति रैगर, निवासी ग्राम कुन्दनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

..निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्रीमति डाला देवी पत्नि स्व. कन्हैयालाल, उम्र–80 वर्ष,
2. शिवनाथ सोनवाल पुत्र स्व. कन्हैयालाल, उम्र–50 वर्ष,
3. राजबहादुर सोनवाल पुत्र स्व. कन्हैयालाल, उम्र–45 वर्ष,
   समस्त जाति रैगर निवासीगण–ग्राम कुन्दनपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. उपायुक्त, नगर निगम जयपुर जोन सांगानेर।

.....विपक्षीगण

निगरानी प्रार्थना पत्र विरूद्व पट्टा संख्या (दर्ज नहीं) फैसला दिनांक 22.10.1981 जिसके अनुसार ग्राम पंचायत जयपुरा द्वारा दिनांक 10.03.82 को अप्रार्थीगण के पूर्वहक अधिकारी कन्हैयालाल पुत्र भौरीलाल के नाम जारी किया गया अंतर्गत धारा 97 सपठित नियम राज. पंचायत अधिनियम 1994

उपस्थितः–

1. श्री राधेश्याम शर्मा एवं श्याम सुन्दर शर्मा अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।
2. श्री जगदीश नारायण शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–एक लगा0 तीन की ओर से ।
3. श्री खेमचन्द शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–चार की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 29.05.2018

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत जयपुरा, पंचायत समिति, सांगोनर के निर्णय दिनांक 22.10.1981 जिसके द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पति एवं अप्रार्थी संख्य 2 व 3 के पिता स्व. कन्हैयालाल पुत्र भौरीलाल रैगर जाति रैगर निवासी ग्राम कुन्दनपुरा तहसील सांगोनर के पक्ष में तथाकथित पट्टा दिनांक 10.03.1982 को जारी करने के आदेश दिये गये, से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या– एक लगायत तीन की ओर से श्री जगदीश नारायण शर्मा, अधिवक्ता ने वकालतनामा प्रस्तुत किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या 4 की ओर से श्री खेमचन्द शर्मा ने अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया जिसे शामिल मिसल किया गया। उप आयुक्त सांगानेर जोन, नगर निगम जयपुर के पत्रांक 484 दिनांक 30.04.2018 से निगरानीधीन पट्टे एवं आदेश से संबंधित पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गई। पत्रावली अन्तिम बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस विद्वान उभय पक्ष अभिभाषक सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि ग्राम पंचायत जयपुरा द्वारा दिनांक 22.10.1981 को अप्रार्थी संख्या 1 के पति एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता स्व कन्हैयालाल पुत्र भौरीलाल रैगर के नाम आबादी भूमि का बैनामा पट्टा अवैध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत जयपुरा द्वारा स्व. कन्हैयालाल ने दिनांक 24.02.1978 को प्रार्थना पत्र बाबत रहने के लिए एक मकान का पट्टा बनाने का आवेदन किया जिस पर ग्राम पंचायत ने दिनांक 25.03. 1981 को पत्रावली में तीन पंचो को मौका निरीक्षण हेतु नियुक्त किया तथा दिनांक 10.03.1981 को मौका निरीक्षण रिपोर्ट पेश की गयी एवं दिनांक 22.10.1981 को 60 इन्टू 60 कुल 400 वर्गगज का पट्टा जारी करने के आदेश दिये गये जबकि आपत्ति नोटिस में जारी किये जाने वाले पट्टे की माप 200 वर्गगज है। ग्राम पंचायत जयपुरा ने पत्रावली में समस्त आर्डरशीट व फेसला एक ही दिन में लिखा एवं मौका रिपोर्ट भी बिना मौके पर गये तैयार की गयी है तथा आपत्ति नोटिस विधिवत रूप से जारी नहीं किया गया एवं नोटिस चस्पा किस स्थान पर किया गया इसका अंकन नहीं किया गया। मूल नक्शे पर कन्हैयालाल पुत्र भौरीलाल रैगर के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। निर्णय व आदेशिका पर कांट–छांट की गयी है। निर्णय व आदेशिका पर तत्कालीन सरपंच रामलाल के हस्ताक्षर है जबकि तथाकथित पट्टे में सरपंच रोशनलाल के हस्ताक्षर है। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत चुनाव के दौरान ही निगरानीधीन पट्टा जारी किया जो नियमविरूद्व है। ग्राम पंचायत द्वारा फर्जी ढंग से पट्टा जारी किया गया एवं निगरानीधीन भूमि का कब्जा किसी प्रकार से स्व. कन्हैयालाल को नहीं दिया गया। प्रार्थी निगरानीकर्ता का ही निगरानीधीन भूमि पर कब्जा कदीम से चला आ रहा है। निगरानीकर्ता ने ग्राम पंचायत जयपुरा में तत्कालीन सरपंच रोशनलाल को आवासीय भूखण्ड का पट्टा दिये जाने का प्रार्थना पत्र 24.03. 1991 को पेश किया जिस पर पत्रावली संख्या 90/91 दर्ज कर प्रस्ताव संख्या 2/27 दिनांक 30.04.1991 के अनुसार 200 वर्गगज भूमि का पट्टा दिनांक 01.06. 1991 को जारी किया गया। अपने कथन के समर्थन में अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा निगरानीकर्ता का राशन कार्ड, बिजली बिल, आधार कार्ड, जयपुर नगर निगम की निर्वाचन नामवाली 1994 आदि दस्तावेज पेश किए गए। गैर निगरानीकारान द्वारा निगरानीकर्ता के विरूद्व न्यायालय में बेदखली का वाद प्रस्तुत किया जिसमें गलत तथ्यों के आधार पर निर्णय करवा लिया जिसकी अपील प्रार्थी ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयपुर जिला जयपुर के न्यायालय में विचाराधीन है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे को निरस्त करने का अधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। निगरानी के बिन्दु पर पंचायती राज अधिनियम में कोई सीमा निर्धारित नहीं है। कार्यालय

अतिरिक्त कलक्टर सत्यमेव जयते जयपुर

उपायुक्त सांगानेर जोन नगर निगम जयपुर से प्राप्त पत्रावली में जारी किया गया पट्टा शामिल नहीं है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत जयपुरा पं0स0 सांगानेर का निर्णय दिनांक 22.10.1981 एवं तथाकथित पट्टा दिनांक 10.03.1982 निरस्त फरमाया जावें। वकील निगरानीकर्ता ने अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टान **RLR 1993 (1) page no. 356, RLR 1987 (1) page no. 387, 1996(3) WLC page no. 595,** पेश किए।

विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण की दलील है कि ग्राम पंचायत द्वारा स्व0 कन्हैयालाल के पक्ष में निर्णय पारित कर जो पट्टा जारी किया है वह विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा पेश की गयी निगरानी अन्दर मियाद नहीं है। प्रार्थी का ही विवादित भूमि पर कब्जा है। ग्राम पंचायत जयपुरा द्वारा विधि अनुसार पूरी प्रक्रिया अपनाकर ही पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार नक्शा बनाया जाकर जिस पर सरपंच एवं नवीस के हस्ताक्षर है, मौका निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर, आपत्ति नोटिस जारी कर पट्टा जारी किया गया है। पंचायत चुनाव हो जाने के कारण पट्टा दूसरे सरपंच रोशनलाल द्वारा जारी किया गया है। अति0 वरिष्ठ सिविल न्यायालय कम 2 में दिनांक 27.05.17 को फैसला गैर निगरानीकार के पक्ष में हुआ है। निगरानीधीन पट्टे की जानकारी 2003 से ही निगरानीकर्ता को थी, उन्हे उसी समय निगरानी करनी चाहिए थी। तत्कालीन सरपंच रोशनलाल ने ही निगरानीधीन पट्टा जारी किया है सन् 1991 में निगरानीकार्ता के पक्ष में पट्टा जारी किया है। विवादित भूखण्ड जयुपरा के समीप ऑफिसर कॉलोनी के सामने मूल्यवान भूमि है। निगरानीकर्ता द्वारा झूठे तथ्यों को पेश कर निगरानी पेश की गयी है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जावे।

विद्वान उभय पक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आदि का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत जयपुरा की पत्रावली प्राप्त हुई। जिसमें निगरानीधीन पट्टा अप्राप्त है। विपक्षी अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर दलील है कि निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी विलम्ब से पेश की गई, जो मियाद बाहर होने से खारिज की जावे, किन्तु मियाद के बिन्दु के आधार पर निगरानी खारिज करना न्यायहित में उचित नहीं है क्योंकि राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 या राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 में निगरानी के सम्बन्ध में मियाद के बिन्दु पर कोई अवधारणा निर्धारित नहीं है। ऐसी स्थिति में निगरानी का निस्तारण गुणावगुण एवं पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर किया जाना न्यायोचित है। वकील निगरानीकर्ता की मुख्य दलील की

ग्राम पंचायत जयपुरा ने पंचायती राज नियमों की अवहेलना कर पट्टा जारी किया है एवं निगरानीकर्ता का ही निगरानीधीन भूमि पर कब्जा है। उपायुक्त सांगानेर जोन नगर निगम जयपुर की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 के पति एवं गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 व 3 के पिता स्व. कन्हैयालाल के आवेदन पर मौका निरीक्षण हेतु कमेटी बनायी गयी एवं आपत्ति नोटिस जारी किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा जारी आपत्ति नोटिस में आवेदनकर्ता को 200 वर्गगज का पट्टा दिये जाने पर आपत्ति मांगी गई एवं नक्शा भी 200 वर्गगज का पट्टा जारी किये जाने का बनाया गया। लेकिन ऑर्डर शीट एवं फैसला फार्म में कांट छांट कर पट्टे की भूमि की माप परिवर्तित कर 400 वर्गगज की गयी जो न्याय के सिद्वान्तो के प्रतिकूल है। पंचायत चुनाव पूर्ण होने के बाद तत्कालीन अन्य सरपंच द्वारा स्व0 कन्हैयालाल को 200 वर्गगज का पट्टा दिनांक 10.03.1982 को जारी किया जो उपायुक्त सांगानेर जोन नगर निगम जयपुर की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। वकील गैर निगरानीकर्ता द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज/सबूत पेश नहीं किया जिससे ये स्पष्ट हो कि निगरानीधीन भूमि पर गैर निगरानीकार का कब्जा पट्टा मिलने के बाद कभी रहा हो। वकील निगरानीकर्ता द्वारा पेश किए गए दस्तावेजात को भी वकील गैर निगरानीकर्ता ने सही माना है। ग्राम पंचायत जयपुरा द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 के पति एवं गैर निगरानीकार संख्या 2 व 3 के पिता के पक्ष में दिनांक 22.10.1981 को लिया गया फैसला व तथाकथित पट्टा दिनांक 10.03.1982 पंचायती राज अधिनियम व नियमों के प्रावधानो का पूर्णतः पालन नहीं किया जाकर दिया गया है।

फलस्वरूप निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत जयपुरा द्वारा गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 के पति एवं गैर निगरानीकार 2 व 3 के पिता स्व0 कन्हैयालाल पुत्र भौरीलाल रैगर निवासी ग्राम कुन्दनपुरा, तहसील सांगोनर के पक्ष में लिया गया फैसला दिनांक 22.10.1981 एवं तथाकथित जारी पट्टा दिनांक 10.03.1982 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

29/5/18

(डॉ. मोहन लाल यादव)
अति.कलक्टर-प्रथम,
एवं अति.जिला मजिस्ट्रेट-प्रथम
जयपुर